

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.12.2025

जनपद चन्दौली

- ◆ कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन से 09 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- ◆ थाना अलीनगर पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन से 03 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे द्वारा गौतस्करी व गौतस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली चन्दौली व थाना अलीनगर द्वारा 02 पिकअप वाहन से 12 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 03 शातिर गौतस्कर को गिरफ्तार किया गया।

कोतवाली चन्दौली-

दिनांक-07.12.2025 को कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 07.12.2025 को लीलापुर गेट के पास चेकिंग के दौरान एक महेन्द्रा विरो UP65QT8466 से 09 राशि गोवंश (07 राशि साड़, 01 राशि गाय व 01 राशि गाय मृत) बरामदगी करते हुए 02 शातिर गौतस्कर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 355/2025 धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 BNS थाना व जनपद चन्दौली को अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत मु0अ0सं0-

1. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 355/2025 धारा धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 BNS थाना व जिला चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राहुल प्रजापति पुत्र खन्झाटी प्रजापति निवासी ग्राम कटौला थाना सिन्धौरा जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष
2. मनीष प्रजापति पुत्र रामसूरत प्रजापति निवासी कटौला थाना सिन्धौरा जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष

बरामदगी-

2. 09 राशि गोवंश (07 राशी साड़, 01 राशि गाय व 01 राशि गाय मृत)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1.नि0 दुर्गेश यादव वर्तमान प्र0नि0 कोतवाली चन्दौली ।
- 2.उ0नि0 रावेन्द सिंह चौकी प्रभारी मण्डी थाना व जिला चन्दौली ।
- 3.उ0नि0 तरुण कश्यप चौकी प्रभारी नवही थाना व जिला चन्दौली ।
- 4.का0 रुपेश दुबे थाना व जिला चन्दौली ।
- 5.का0 प्रियेश यादव थाना व जिला चन्दौली ।

थाना अलीनगर-

प्रभारी निरीक्षक अलीनगर अनिल कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 07.12.2025 को 00.10 बजे पंचफेड़वा हाईवे पर एक पिकअप वाहन संख्या UP62AT1377 वाहन से 03 राशि गोवंश (2 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा) की बरामदगी करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान इकरामुद्दीन अंसारी पुत्र सहवान अंसारी निवासी बहरीपुर थाना सिगरामऊ जिला जौनपुर उ0प्र0 उम्र करीब 42 वर्ष के रूप में हुई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 621/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0 निवा0 अधि0 बनाम इकरामुद्दीन अंसारी पुत्र सहवान अंसारी निवासी बहरीपुर थाना सिगरामऊ जिला जौनपुर उ0प्र0 उम्र करीब 42 वर्ष के पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

- 1.इकरामुद्दीन अंसारी पुत्र सहवान अंसारी निवासी बहरीपुर थाना सिगरामऊ जिला जौनपुर उ0प्र0 उम्र करीब 42 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1-मु.अ.सं. 621 /2025 धारा- 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जपद चन्दौली

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान–

दिनांक – 07.12.2025

समय -00.10 बजे

स्थान-पंचफेड़वा हाईवे थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।


उ0नि0 जयकरन सरोज चौकी लौंदा जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अमित कुमार सेन थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 राजेन्द्र जायसवाल थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

का0 सन्तोष कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

 थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा 04 मैजिक वाहन से 04 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 02 वाहन पास कराने वाले तस्कर व 02 वाहन चालक सहित कुल 04 शातिर गोतस्करों को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 06.12.2025 को भारत पेट्रोलियम के सामने NH-2 हाइवे उत्तरी लेन पर ग्राम बगही के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 03 मैजिक वाहन द्वारा चेकिंग कर रही पुलिस टीम को जान से मारने के नियत से उनके ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। चेकिंग कर रही पुलिस टीम की सुझबूझ के कारण उनकी जान बच पायी और 03 मैजिक वाहन से 03 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 01 शातिर गोतस्कर को गिरफ्तार किया गया मौके से दो अन्य वाहन चालक अभियुक्त फरार हो गये। व गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर फेसुडा पानी की टंकी के पास से वाहन पास कराने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को व 01 मैजिक वाहन से 01 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

■ थाना सैयदराजा द्वारा की जा रही चेकिंग अभियान के दौरान कुल 04 मैजिक वाहन से 04 राशि गोवंश की बरामदगी करते हुए 04 शातिर गोतस्करों को गिरफ्तार किया गया।

■ बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 364/25 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम 30प्र0 व 109,3(5) BNS का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सुग्गा कुमार पुत्र हृदय नारायण नि. हरिहरपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
2. सत्यम विश्वकर्मा पुत्र दीनानाथ विश्वकर्मा नि. बगही कुम्भापुर सैयदराजा चन्दौली
3. निखिल राय पुत्र विरेन्द्र राय नि. श्रीरामपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
4. छोटू पुत्र शिवमूरती चौहान नि. पहलवानी थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

बरामदगी का स्थान व समय-

भारत पेट्रोलियम के सामने NH-2 हाइवे उत्तरी लेन पर ग्राम बगही व पानी की टंकी ग्राम फेसुडा।
दिनांक 06.12.2025 समय 17.00 बजे

बरामदगी का विवरण:-

1. 04 राशि गोवंश गाय

- 2.04 मैजिक वाहन (वाहन नं०- UP67BT0412 टाटा मैजिक- UP67BT6235 टाटा इन्ट्रा मैजिक-UP65PT9228 ACE गोल्ड टाटा मैजिक-UP61BT822)
- 3.01 कीपैड मोबाइल सैमसंग कम्पनी व 02 स्क्रीन टच मोबाइल
- 4.455 रुपया नगदी

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण-

- 1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 2.उ०नि० राजेश कुमार थाना सैयदराजा चन्दौली ।
- 3.हे०का० दिनेश यादव थाना सैयदराजा चन्दौली
- 4.HC नसिरुद्दीन मो० हुमायू थाना सैयदराजा चन्दौली
- 5.का० शंकर राम थाना सैयदराजा चन्दौली
- 6.का० बृजेश चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली
- 7.का. चालक राजू सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली

जनपद चन्दौली

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर 54 नशेबाजी करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

चन्दौली । श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली व अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन, समस्त क्षेत्राधिकारीगण के कुशल मार्गदर्शन में समस्त थानों द्वारा चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, अराजकता फैलाने, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों व अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्यवाही की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 07.12.2025 को जनपद के समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 54 शराबियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।